कार्यालय सचिव (कोषाधिकारी), राज0 राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, भरतपुर

क्रमांक :– कोष/आर.पी.एम.एफ./11/649 दिनांक :– 10-8-11

निविदा सूचना

भरतपुर शहर में आर.बी.एम. चिकित्सालय/जनाना चिकित्सालय एवं कामां, बयाना, डीग, नगर, नदबई चिकित्सालयों के 500 मीटर की परिधि में स्थित एलोपैथिक निजी औषधि विक्रेताओं से राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011–12 के लिये उपभोक्ता भंडार द्वारा जारी एन.ए.सी. के आधार पर पेंशनर्स को दवाईयां उपलब्ध कराने के लिये डिस्काउन्ट दर के आधार पर अनुबंधित करने हेतु सीलबन्द निविदाएं दि. 29.08.2011 को दोपहर 2.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं (दो या तीन दुकानें) जो उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेंगी। निविदा की विस्तृत शर्तें वेबसाइट www.bharatpur.nic.in पर उपलब्ध हैं एवं निविदा फार्म के साथ भी संलग्न है। निविदा फार्म विज्ञप्ति के प्रकाशन के बाद से दिनांक 29.08.2011 को दोपहर 2.00 बजे पूर्व तक निविदा शुल्क 100/– रुपये जमा कराकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा की शर्तें निम्न प्रकार है :–

1. सील बन्द निविदाऐं कोष कार्यालय मे मोहर बन्द लिफाफे में प्राप्त किये जायेगें।
2. औषधि विक्रेता के पास औषधि विक्रय संबंधी वैद्य अनुज्ञा पत्र होना चाहिये।
3. औषधि विक्रेता का काउन्टर राजकीय चिकित्सालय के मुख्य द्वार से 500 मीटर की परिधि में होना चाहिए।
4. औषधि विक्रेताओं को उन सभी औषधियों को स्टॉक में रखना होगा जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुर्नभरण की जाती है।
5. पेंशनर्स को दी जाने वाली औषधियों का भुगतान भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा किया जायेगा।
6. औषधि विकेता को कम्प्यूटर सिस्टम के द्वारा पेंशनर्स संबंधी लेखे संधारित करने होगें।
7. औषधि विकेता को समय–समय पर जारी राजकीय दिशा–निर्देशों की पालना करनी होगी।
8. विक्रेता को अपने निविदा फार्म के साथ निर्धारित धरोहर राशि 5000/–रुपये का डिमांड ड्राफ्ट सचिव राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना भरतपुर के नाम से संलग्न करना होगा।
9. धरोहर राशि के अभाव में निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. जिन विक्रेताओं का चयन नहीं होगा उन्हे धरोहर राशि वापिस कर दी जायेगी।
11. औषधि विक्रताओं का चयन, मेडीसन के मैन्यूफैक्चरर द्वारा जारी प्राइस रेट (MRP) पर देय अधिकतम डिस्काउन्ट रेट के आधार पर किया जायेगा।
12. जिन औषधि विक्रेताओं का चयन किया जावेगा उनकी धरोहर राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट कार्यालय में जमा रहेगा तथा चयनित फर्म को नियमानुसार एक अनुबन्ध पत्र संपादित करना होगा। अगर उक्त विक्रेता ऐसा नहीं करता है या अनुबन्ध अवधि से पूर्व ही अपना नाम वापस लेता है या किसी प्रकार से दोषी पाया जाता है तो उक्त धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा फर्म को भविष्य के लिये ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा।
13. विक्रेता को बिक्री कर क्लीयरैन्स प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
14. सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र भरतपुर सिटी होगा।
15. अनुबन्ध (Agreement) के समय पर राज्य सरकार के हित में अन्य शर्ते भी जोड़ी जा सकती है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भी निविदा फार्म को बिना कारण बताये स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सचिव (कोषाधिकारी)
रा.रा.पेंशनर्स चि.रि. योजना भरतपुर

क्रमांक :– कोष/आर.पी.एम.एफ./11/ दिनांक :–

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भरतपुर।
3. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी. भरतपुर।
4. नोटिस बोर्ड।

sd/-
सचिव (कोषाधिकारी)
रा.रा.पेंशनर्स चि.रि. योजना भरतपुर